

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 2371/341/आउशि/सम./2021  
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21/12/21

1. कुलसचिव  
समस्त राजकीय/ निजी विश्वविद्यालय छ.ग।
2. प्राचार्य,  
समस्त शासकीय / निजी महाविद्यालय छ.ग।

विषय :- प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समस्त राजकीय/निजी विश्वविद्यालय एवं शासकीय/ निजी महाविद्यालयों में 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ अध्यापन कार्य प्रारंभ करने की अनुमति बाबत।

संदर्भ :- अवर सचिव छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17-95/2021/38-2 दिनांक 15.12.2021

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश द्वारा प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समस्त राजकीय/निजी विश्वविद्यालय एवं शासकीय/ निजी महाविद्यालयों में सम्पूर्ण कोविड- 19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ अध्यापन कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

कृपया संदर्भित आदेश में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- पत्र की छायाप्रति।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव/प्राचार्य को सूचित करने के लिए समस्त राजकीय/निजी विश्वविद्यालयों को सूचित करने के लिए 21/12/21

21.12.2021

अपर संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
नवा रापुर अटल नगर (छ.ग.)

पृ0क्रमांक 2372 /341/आउशि/सम/2021 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 21/12/2021  
प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर को संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।



21.12.2021

अपर संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
नवा रापुर अटल नगर (छ.ग.)

No. L-201-22
AD (K) / JDI / DD
Section
Date 17 DEC 2021
C.H.F

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
::मंत्रालय::


महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

—0—  
::आदेश::

नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर दिनांक 15/12/2021

क्रमांक एफ 17-95/2021/38-2: राज्य शासन एतद्वारा प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समस्त राजकीय/निजी विश्वविद्यालयों एवं शासकीय/निजी महाविद्यालयों में संपूर्ण कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ अध्यापन कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(ए.आर. खान)  
अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर दिनांक 15/12/2021

पृ.क्र. एफ 17-95 /2021/38-2  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर,
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
4. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़,
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
6. समस्त कुलसचिव, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
7. सचिव, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर, छ.ग.
8. समस्त क्षेत्रीय अपर संचालक
9. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
10. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर,
11. उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
12. आदेश फोल्डर

  
अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग